रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122022-240988 CG-DL-E-12122022-240988

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5538] No. 5538] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 12, 2022/अग्रहायण 21, 1944 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 12, 2022/AGRAHAYANA 21, 1944

पेट्रेलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5774(अ).—जबिक भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि असम राज्य में नार्थ -इस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के गुवाहाटी – नुमालीगढ़ - दीमापुर खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स इंद्रधनृष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमे उक्त पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए:

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं;

कोई व्यक्ति, जो उकत अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारिख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, असम राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा |

8234 GI/2022 (1)

अनुसूची

जिला : लखीमपुर	τ		राज्य : असम			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं.	क्षेत्रफल		
सभल				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	नाओबैछा	महघुली गाँव	567	00	24	62
			566	00	29	87
			568	00	00	70
उत्तर लखीमपुर			569	00	02	82
			553	00	86	72
			459	00	05	81
			541	00	01	28
			462	00	20	75
			464	00	06	23
			488	00	09	97
			489	00	08	14
			491	00	07	95
			500	00	06	79
			498	00	05	06
			497	00	00	50
			428	00	00	85
			460	00	06	60
			461	00	13	65
			448	00	07	62
			493	00	04	22
			496	00	04	22

[फा. सं. एल 14014/228/2022- जीपी०-॥ (ई-45100)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2022

S.O. 5774(E).—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Guwahati - Numaligarh - Dimapur Section of North - East Natural Gas Pipeline Grid Project in the State of Assam, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State of Assam.

SCHEDULE

District: Lakh	impur		State: Assam			
Cirolo	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
Circle				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Naoboicha	Mohghuli	567	00	24	62
			566	00	29	87
			568	00	00	70
			569	00	02	82
			553	00	86	72
			459	00	05	81
			541	00	01	28
			462	00	20	75
			464	00	06	23
North			488	00	09	97
Lakhimpur			489	00	08	14
Lakiiiiipui			491	00	07	95
			500	00	06	79
			498	00	05	06
			497	00	00	50
			428	00	00	85
			460	00	06	60
			461	00	13	65
			448	00	07	62
			493	00	04	22
			496	00	04	22

[F. No. L-14014/228/2022-GP-II (E-45100)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.